

इंडिया इंटरनेशनल हाउस

Company Name - India International House	Policy Name - Modern Slavery, Forced, Bonded labor policy
Original date. 04/11/2023 Rev No. 00	Document No. - IIHL/MSP/05

आधुनिक गुलामी और बलपूर्वक श्रम नीति

1. उद्देश्य:

इस नीति का उद्देश्य किसी भी स्थिति में बलपूर्वक कार्य करना नहीं है। बलपूर्वक कार्य करने से शारीरिक एवं मानसिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पढ़ता है।

2. कार्यक्षेत्र:

ये नीति : इंडिया इंटरनेशनल हाउस (**India International House**) की सभी इकाईयों पर लागू होती है।

3. बलपूर्वक श्रम (परिभाषा):

बलपूर्वक श्रम उसे कहते हैं जहाँ पर किसी व्यक्ति द्वारा उसके अधिकारों का हनन कर उसकी इच्छा के बगैर कार्य कराया जाता है। गुलामों की तरह कार्य कराना, कर्ज देकर कार्य कराना, बन्दी बनाकर कार्य कराना, घरेलू नौकर की तरह कार्य कराना आदि भी बलपूर्वक कार्य की श्रेणी में अत है।

4. बलपूर्वक श्रम रोकने के दिशा निर्देश:

- किसी भी कार्य का मूल दस्तावेज कम्पनी के अंदर नहीं लिया जायेगा।
- नियोजन से पहले अथवा बाद में (नियोजित) कर्चरी से बाद में कोई धनराशी अथवा कोई भी कीमती सामान जमा नहीं कराया जायेगा।
- किसी भी कर्मचारी की इच्छा के बिना ओवरटाइम नहीं कराया जायेगा।
- किसी भी कर्मचारी के कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात् बिना लाभ दिए उससे कोई भी कार्य नहीं कराया जायेगा।

5. संगठनात्मक संरचना:

कार्यकारी मानव संसाधन इस नीति के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदाई होगा।

6. संचार एवं कार्यान्वयनः

- यह नीति सभी कर्मचारियों को सुचना पट पर चस्पा कर बताई जाएगी।
- कर्मचारी को आगमन के समय भी अवगत कराया जायेगा।
- कर्मचारियों को मीटिंग तथा परामर्श के समय अवगत कराया जायेगा।

7. प्रतिक्रिया एवं नियंत्रणः

प्रबन्धन कर्मचारियों से इस नीति की समझ के विषय में प्रतिपुष्टि फॉर्म पर जानकारी लेगा। अगर कर्मचारी नीति को ठीक से नहीं समझ पाते हैं तो मीटिंग, प्रशिक्षण, आगमन के समय पर नीति के बारे में बतायेंगे, सभी कर्मचारियों को नीति के बारे में जानकारी देना आवश्यक है।

दस्तावेज़ प्रस्तुतकर्ता:

Himanshu


अनुमोदन कर्ता: